न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 16 / 2023

अनवान : –

1. कु0 ऐंजल चौधरी पुत्री प्रकाशचन्द्र जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर उम्र 3 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मु0 अमनदीप पत्नी प्रकाशचन्द्र जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. प्रकाशचन्द्र पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. रेशमा देवी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **सायल**
श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 01/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स0 298 / 198 की कुल 15.1380 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 ता 2 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायल अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायलान के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स0 298 / 198 की कुल 15.1380 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 ता 2 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के विक्रय की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:06:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त विवादित भूमि की बाबत् गैरसायल न. 1 ने अपने पिता बृजलाल पुत्र मगनीराम के फोत होने पर एक वाद प्रकाशचन्द्र बनाम रचना आदि बाद संख्या 542 सन् 2021 श्रीमान् अदालत में पेश किया जिसमें रचना व मंन्जू पुत्रीयान् बृजलाल ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक व हिस्सा था वह गैरसायल न. 1 ता 2 के पक्ष में तर्क कर दिया था जिसके आधार पर श्रीमान् अदालत द्वारा बाद वादी डिकी कर दिया गया था इसलिए विवादित भूमि श्रीमान् अदालत के निर्णय दिनांक 20–9–2021 की पालना में गैरसायल न. 2 के नाम दर्ज हुई है इसलिए विवादित भूमि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के ख.न. 90 की 15.1380 हैक्टेयर भूमि में से जो गैरसायल न. 2 के नाम दर्ज है उसमें गैरसायल न. 2 के जीवन काल में सायला का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है इसलिए सायला विवादित भूमि में किसी भी प्रकार की घोषणा करवाने की अधिकारी नहीं है प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अप्रार्थी का यह कहना सही है कि उक्त भूमि न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09. 2021 की पालना मे अप्रार्थी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज हुई है लेकिन उक्त भूमि पूर्व में बृजलाल जो की प्रार्थीया का दादा है के नाम दर्ज थी एवं उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2021 द्वारा मृतक बनवारी के नाम दर्ज भूमि को उनके वारिसान के नाम दर्ज की गई है। वर्तमान में भूमि अप्रार्थी सस0 1 ता 2 के नाम है जो की प्रार्थीया के पिता व दादी है अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीया का हक हिस्सा [illegible] को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है जबकि अप्रार्थी स0 2 के नाम उक्त [illegible] अनुसार दर्ज हुई है प्रार्थीया अपने हक हिस्सा हेतु अप्रार्थी स0 1 को पाबन्द [illegible] पाने की अधिकारी है जबकि अप्रार्थी स0 2 को पाबन्द करवा पाने की अधिकारी नही है। अ[illegible] न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:06:57 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीया का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है जबकि अप्रार्थी स0 2 के जीवनकाल में प्रार्थीया अप्रार्थी स0 2 को पाबन्द करवा पाने की अधिकारी नही है प्रार्थीया का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को अप्रार्थी स0 1 द्वारा बैय की जाती है तो प्रार्थीया को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है जबकि अप्रार्थी स0 2 द्वारा बैय किया जाता है तो प्रार्थीया को कोई असुविधा नही होगी अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में आंशिक साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को आंशिक होगी।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति आंशिक साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट आंशिक स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 298/190 की कुल 15.1380 में से 7921/151380 हैक्ट अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रार्थीया के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे एवं अप्रार्थी स0 2 के विरूद्ध दिनांक 02.02.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 01/05/26 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:06:57 IST
Reason: SelfAttested